



The Uttaranchal River Valley (Development and Management) Act, 2005

Act 6 of 2005

Keyword(s):

**Bhagirathi River Valley, Basen Catchment Area, Command Area,
Development Agency, River**

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई0
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 416/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम, 2005 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2005)

उत्तरांचल राज्य की भागीरथी नदी घाटी और टिहरी बांध के ऊपरी और निचली ओर तथा इसके जलागम और प्रभावी क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में, नदी घाटी के स्थायी विकास और समुचित प्रबन्ध हेतु
अधिनियम

भारत गणतंत्र के पचपनवें वर्ष में एतद्द्वारा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित—

अध्याय— I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम "उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबंध) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) प्रथमतः यह उत्तरांचल के टिहरी और उत्तरकाशी जिलों की भागीरथी नदी घाटी पर लागू होगा और तत्पश्चात् राज्य सरकार यदि उपयुक्त और उचित समझे, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध ऐसी अन्य नदी घाटियों पर भी लागू कर सकेगी।

(3) यह अधिनियम, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसी तिथि से, जो नियत किया जाय, अधिसूचना द्वारा लागू होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में—

(क) "प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा '3' के अधीन स्थापित नदी घाटी विकास प्राधिकरण से है ;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तरांचल नदी घाटी विकास (विकास और प्रबंध) अधिनियम, 2005 से है ;

(ग) "भागीरथी नदी घाटी" का तात्पर्य उत्तरांचल के टिहरी और उत्तरकाशी जनपदों में भागीरथी, गिलंगना तथा उनकी सहायक नदियों जो नदी में नीचे की ओर देवप्रयाग तक तथा नदी में ऊपर की ओर गौमुख तक एवं उनकी द्रोणी (बेसिन) और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आस-पास के ऐसे अन्य क्षेत्र से है ;

(घ) "द्रोणी (बेसिन)" का तात्पर्य घाटी के संपूर्ण जलागम क्षेत्र से है ;

(ङ) "जलागम क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जिसकी दूरी नदियों के मध्य से 100 मीटर, जिसे 200 मीटर तक बढ़ाया जा सकेगा, नदी में ऊपर और नीचे की ओर उस लम्बाई तक जैसा अवधारण कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया जाय ;

(च) "प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित नदी घाटी क्षेत्र से है ;

- (छ) "विकास अभिकरण (एजेंसी)" का तात्पर्य नदी घाटी के विकास के कार्य में संलग्न किसी शासकीय विभाग या संस्था या अन्य अभिकरण से है ;
- (ज) "कार्यकारी समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन गठित समिति से है ;
- (झ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ;
- (ट) "सदस्य" का तात्पर्य प्राधिकरण का सदस्य जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं से है ;
- (ठ) "सेक्टर" का तात्पर्य विकास कार्यों के प्रयोजनार्थ लिये गए भौगोलिक और कार्याशील क्षेत्रों से है और इनमें सम्मिलित है -
- (i) "भौगोलिक क्षेत्र" का तात्पर्य वह क्षेत्र से है जिसमें नगरपालिका निकाय व जिला पंचायत के क्षेत्र समाविष्ट हो;
- (ii) "कार्यशील क्षेत्र" का तात्पर्य विकास की मद और जिसमें कृषि, सड़क, सेतु, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, जलागम, संचार, आवास निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, नौकायन, मछली पालन/पकड़ना और इनसे संबंधित विषय शामिल हैं से है;
- (ड) "नदी घाटी" में, नदियों और उनकी सहायक नदियों तथा ऊपरी एवं निचली द्रोणी और "बांध अथवा जलाशय" से प्रभावित क्षेत्र एवं जलागम क्षेत्र शामिल है।
- (ढ) "शब्द तथा अभिव्यक्ति" जो इस अधिनियम में प्रयोग किये गये हैं, परन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जैसे- उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में दिये गये हैं।

अध्याय II

नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना

- 3-(1) राज्य सरकार अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये अधिसूचना द्वारा भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के नाम से स्थापित किया जायेगा, जो कि एक निगमित निकाय होगा। प्राधिकरण और कार्यपालिका समिति की स्थापना और गठन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
- (2) जब कभी भी आवश्यक होगा, राज्य सरकार दूसरी नदी घाटियों के लिए ऐसे अन्य प्राधिकरणों का गठन भी कर सकेगी या ऐसी नदी घाटियों को विद्यमान नदी घाटी प्राधिकरण के अधीन ला सकेगी।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगा, अर्थात् -

(क) राज्य का मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष
(ख) नदी घाटी क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति	उपाध्यक्ष
(ग) राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम छः सदस्य जो नदी घाटी क्षेत्र के विधायक हों।	पदेन सदस्य
(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित जिला पंचायत अध्यक्ष जिसमें नदी घाटी का क्षेत्र आता हो।	पदेन सदस्य
(ङ) भारत सरकार के जल संसाधन, वन और पर्यावरण मंत्रालय से विशेष आमंत्रित सदस्य जो उपसचिव/निदेशक पद से अनिम्न हों।	सदस्य
(च) योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि जो निदेशक पद से अनिम्न हों।	सदस्य
(छ) राज्य के निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव या सचिव या उनके द्वारा प्राधिकृत जो अपर सचिव से अनिम्न हों-	
(i) वित्त विभाग	पदेन सदस्य
(ii) नियोजन विभाग	पदेन सदस्य
(iii) लोक निर्माण, सिंचाई और विद्युत विभाग	पदेन सदस्य
(iv) विधि विभाग	पदेन सदस्य
(v) पर्यटन विभाग	पदेन सदस्य
(vi) पर्यावरण, वन, ग्रामीण विकास	पदेन सदस्य
(ज) मण्डल के मण्डलायुक्त	पदेन सदस्य
(झ) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	पदेन सदस्य सचिव
(ञ) राज्य सरकार अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम छः सदस्य जो मृदा संरक्षण, भू-विज्ञान, पर्यावरण, विधि, समाजशास्त्री तथा प्रबन्धकीय क्षेत्रों के तकनीकी सलाहकार/संस्थान से होंगे,	सदस्य

- (4) राज्य सरकार में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सचिव स्तर से अनिम्न का हो को भी राज्य सरकार, सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्ति कर सकेगी।
- (5) प्राधिकरण अपने सदस्यों की एक कार्यपालिका समिति का गठन कर सकेगी जिसमें धारा 3 की उपधारा (3) के प्रस्तर (छ) में से वर्णित दो सदस्य, सदस्यों की संख्या छः से अधिक न होगी, जिसकी अध्यक्षता, उपाध्यक्ष करेंगे, जोकि प्राधिकरण के निर्णयों, विभिन्न घोषणा-पत्रों को यथोचित और यथासमय लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे और प्राधिकरण के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखेंगे। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस कार्यपालिका समिति का सचिव होगा।
- (6) प्राधिकरण की बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी यद्यपि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुमति से जब भी आवश्यक हो, बैठक की जा सकेगी।
- (7) कार्यपालिका समिति की बैठक, कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में होगी यद्यपि उपाध्यक्ष ऐसी बैठक कार्यपालिका समिति के सदस्यों की अपेक्षानुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये कार्यपालिका समिति की बैठक आहूत कर सकेंगे।
- (8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र निम्न कारणों से अवैध न होगी—
- (क) प्राधिकरण के संरचना में कोई रिक्ति या त्रुटि है ; या
- (ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि है; या
- (ग) मामले को प्रभावित न करने वाली प्राधिकरण की प्रक्रिया में हुई कोई अनियमितता।
- (9) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा परन्तु पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सभी या कोई एक सदस्य को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व राज्य सरकार पदच्युत कर सकेगी या ऐसा सदस्य जो अपने पद पर नहीं रहना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र, यदि सदस्य है तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष है तो प्राधिकरण के अध्यक्ष को दे सकेगा।
- 4-(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी विनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य

- (2) पदेन सदस्य सचिव प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, उसकी सहायता हेतु प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

प्राधिकरण के कर्मचारी

- 5-(1) ऐसी शर्तों के अध्वधीन जैसा विहित किया जाय, प्राधिकरण अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु जैसा आवश्यक और समीचीन समझा जाय अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, किन्तु ऐसी नियुक्ति करने में भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों का पालन किया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-शर्तें जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, होगी।

तकनीकी सलाहकार/संस्था

- 6-(1) कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु प्राधिकरण, पर्यावरण प्रबंध, भू-विज्ञान, पारिस्थितिकी योजना, एकीकृत ऊर्जा, नियोजन, सामाजिक विज्ञान, वन-पारिस्थितिकी और विधि तथा अन्य क्षेत्रों से तकनीकी सलाहकारों/संस्थाओं के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

- (2) तकनीकी सलाहकारों/संस्थाओं की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों तथा उनकी नियुक्ति सम्बन्धी शर्तें व मानदेय कार्यपालिका समिति द्वारा अवधारित की जायेगी।

बैठक

- 7-(1) प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बुलाई जाएगी और प्राधिकरण का कार्य बैठक में कार्यसूची के अनुसार निस्तारित किया जायेगा जब तक कि अध्यक्ष किसी कार्य को सदस्यों के मध्य कार्यसूची परिचालन के माध्यम से देने के निर्देश न दे दें परन्तु बैठक के समय अध्यक्ष किसी अन्य मामले को कार्यसूची में सम्मिलित करने का निर्देश दे सकेंगे।

- (2) प्राधिकरण की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथि, समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी यद्यपि अध्यक्ष या कार्यपालिका समिति के निर्देशानुसार किसी भी समय बैठक बुला सकेंगे।

- (3) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों की सहमति से निर्वाचित सदस्य करेगा।

- (4) धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित चार सदस्यों तथा खण्ड (ड.) से (ज) में उल्लिखित तीन सदस्यों सहित सात सदस्यों से अन्धून कोई कार्य निस्तारित नहीं किया जा सकेगा, परन्तु गणपूर्ति के अभाव में आगामी बैठक को स्थगित करने हेतु गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

- (5) बैठक में उठाये गए सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा किया जाएगा और समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत, बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष का होगा।
- (6) प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक प्रत्येक वर्ष, सामान्यतया मार्च माह में आयोजित की जाएगी, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्राधिकरण के वार्षिक बजट पर चर्चा कर उसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।

8-(1) प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे-

- (क) द्रोणी के समग्र और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु विकास योजनाओं के निर्माण और अनुपालन का निरीक्षण करना विकास योजना में जल संसाधन, भू-प्रयोग और कृषि का विकास, क्षेत्र-विकास और संबंधित विषय शामिल होंगे ; प्राधिकरण के कार्य
- (ख) द्रोणी में क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी के पुनरोद्धार सहित, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने हेतु प्रभावी और यथासमय कार्रवाई सुनिश्चित करना;
- (ग) घाटी में वृक्षारोपण करना और ऐसे पौधों की प्रजातियां लगाना जिनसे स्थानीय निवासियों को पर्याप्त चारा प्राप्त हो तथा ऐसी प्रजातियां लगाना जो नदी घाटी में मृदा-अपरदन को रोकने में लाभदायक हों साथ ही स्थानीय निवासियों को बेहतर स्वस्थ एवं जीवनोपयोगी वातावरण उपलब्ध कराना;
- (घ) घाटी में वनस्पति उद्यानों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना जिससे उस क्षेत्र की वनस्पतियां और जन्तु संरक्षित और सुरक्षित रहे;
- (ङ) जल-गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना और रख-रखाव करना तथा विभिन्न ग्रामीण पुनर्वास केन्द्रों पर सामुदायिक सुविधाएँ उपलब्ध करना;
- (च) जलागम क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कोष/आपात समूहों व आपदा कोष की स्थापना और रख-रखाव करना;
- (छ) नदी घाटी में समुचित स्थानों पर प्रभावी शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना और रख-रखाव करना;

- 9- (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बने विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियाँ, जैसी आवश्यक और आनुषंगिक हो, अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा। प्राधिकरण की शक्तियाँ

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसी शक्तियों में निम्न शक्तियां सम्मिलित होगी—

(क) विकास अधिकरण (एजेंसी) द्वारा चलाई जा रही विकास योजना के बारे में सूचना प्राप्त करना;

(ख) प्राधिकरण की महायोजना में उल्लिखित किसी विकास की योजना को अनुमोदित या निरस्त करना तथा ऐसे महायोजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नदी घाटी के जलागम क्षेत्र में अन्य अभिकरणों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का धारा-11 की उपधारा (3) से (5) के अनुसार विनियमन करना;

(ग) प्राधिकरण द्वारा किसी भी क्षेत्र के लिये निर्धारित नीतियों के अनुपालन हेतु संबंधित अन्य विकास एजेंसियों को निर्देश देना;

(घ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी अन्य एजेंसी से सहायता लेना;

(ङ) अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु अपने सदस्यों की उप समितियां गठित करना;

(च) प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने कार्य का प्रत्यायोजन करना;

(2) प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना महायोजना में उल्लिखित कोई भी प्राथमिक या अन्य कार्य या किसी विकास योजना को आरम्भ नहीं किया जाएगा।

(3) महायोजना में कोई भी परिवर्तन, प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण को उसके कार्यों और नीतियों को लागू करने में राज्य की परिषदों सहित सभी संबंधित विभाग, अपने प्रमुखों के माध्यम से, उसके साथ समन्वय करेंगे और प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति द्वारा अपनी शर्तों और इच्छित तथा मुगतान के आधार पर सरकार के किसी विभाग की सेवाओं की मांग करना वैध होगा।

(5) प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन जिसे वह यथासमय कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक एवं उचित समझे, कार्यपालिका समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी।

अध्याय— III विकास के लिए महायोजना और क्षेत्रीय योजना

- 10— (1) प्राधिकरण पूर्व में किये गये भौगोलिक क्षेत्र विकास योजना निर्धारण करने के पश्चात् यथाशीघ्र नदी घाटी के समग्र स्थायी विकास हेतु एक महायोजना की तैयारी करेगा या करवाएगा। महायोजना की तैयारी
- (2) महायोजना होगी—
- (क) द्रोणी (बेसिन) की वहन क्षमता परिनिश्चित करना ;
- (ख) ऐसे विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टरों) को परिनिश्चित करेगा जिसमें विभिन्न विकास योजनाएं चलाई जानी हैं और प्रत्येक क्षेत्र के विकास के तरीकों और उन चरणों का भी उल्लेख करना जिनमें ऐसी विकास योजनाएं चलाई जाएंगी ;
- (ग) द्रोणी के विकास हेतु वैकल्पिक योजनाओं सहित विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना ;
- (घ) विभिन्न उपयोगों एवं प्रयोजनों हेतु भूमि का सीमांकन करना ;
- (ङ) उस मूलभूत पद्धति, जिसकी सीमा में विकास योजनाएं तैयार की जायेगी, के मूल स्वरूप का कार्य करना।
- (3) महायोजना नदी घाटी के सतत् विकास हेतु जैसा आवश्यक रूप से अवधारित किया जाय, ऐसे अन्य विषयों की व्यवस्था करना।
- 11—(1) धारा-10 के अधीन महायोजना की तैयारी के उपरान्त यथाशीघ्र, विकास एजेंसियां, महायोजना के अनुसार कार्यशील क्षेत्रवार विकास हेतु योजना तैयार करने के लिये अग्रसर रहेगी। नदी घाटी क्षेत्र में विकास के विनियम हेतु क्षेत्रीय योजना (सेक्टरल प्लान) तैयार करना
- (2) राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अवधारित सन्नियमों की पुष्टि के उपरान्त उपधारा (1) के अधीन सेक्टर हेतु योजना तैयार की जायेगी।
- (3) प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् उस क्षेत्र में जिसके लिये ऐसे प्राधिकरण का गठन हुआ हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था जिसमें राज्य के विभाग या प्राधिकारी भी सम्मिलित हों तथा लोक या निजी क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा भूमि के विकास सम्बन्धी कार्यों को न तो किया जायेगा और न ही करवाया जायेगा या जारी रखा जायेगा, जब तक कि ऐसे विकास हेतु प्राधिकरण से लिखित रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुमति न प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) ऐसे किसी क्षेत्र में किसी भी योजना के प्रभावी होने के पश्चात भू विकास सम्बन्धी कार्यों की न तो जिम्मेदारी ली जायेगी तथा न ही किये जायेंगे या जारी रखे जायेंगे, जब तक कि ऐसे विकास कार्य, लागू योजना के अनुरूप न हो।

(5) उपधारा (1) व (2) में किसी अन्य बात के होते हुये भी, निगमित निकाय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी विभाग या व्यक्ति द्वारा उन क्षेत्रों के भूमि के विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे :

(क) जब ऐसा कोई विभाग या स्थानीय प्राधिकारी किसी भूमि के विकास का आशय रखता है तो वह कार्यपालिका समिति को ऐसे विकास के आशय से पूर्ण विवरण, जिसमें ऐसी योजना व उसके अभिलेख सहित, लिखित सूचना देकर, ऐसे विकास कार्य की जिम्मेदारी लिये जाने से न्यूनतम 90 दिवसों से पूर्व दी जायेगी;

(ख) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के मामले में यदि कार्यपालिका समिति को कोई आपत्ति है तो वह खण्ड (क) के अधीन विभाग के द्वारा दिये गये आशय की प्राप्ति के 6 सप्ताह के अन्दर सूचना देगा तथा यदि कार्यपालिका समिति से कोई आपत्ति उक्त समयवधि में प्राप्त नहीं होती है तो विभाग प्रस्तावित विकास करने हेतु स्वतन्त्र होगा;

(ग) जहां कार्यपालिका समिति द्वारा प्रस्तावित विकास कार्य या अन्य आधार पर कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है कि इस आधार पर, ऐसा विकास कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गयी या प्रस्तावित महायोजना या क्षेत्रीय योजना के अनुरूप नहीं है, तो ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो -

(i) या तो कार्यपालिका समिति द्वारा व्यक्त की गयी आपत्ति के क्रम में विकास के प्रस्तावों पर आवश्यक उपांतरण करेगा या ;

(ii) खण्ड (घ) के अन्तर्गत कार्यपालिका समिति द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों के साथ विकास के प्रस्ताव को प्राधिकरण के समक्ष विनिश्चय होने हेतु प्रस्तुत करेगा।

(घ) प्राधिकरण, विकास के प्रस्तावों व कार्यपालिका समिति की आपत्ति की प्राप्तियों पर, एक साथ या तो प्रस्तावों पर अनुमोदन देगा या उपांतरण के साथ या उपांतरण के बिना विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को जैसी भी स्थिति हो, ऐसे उपांतरण किये जाने हेतु जैसा कि वह विचार कर उचित समझे, निर्देश देगा तथा प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय, IV वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

- 12—(1) प्राधिकरण के पास अपनी निधि होगी और वह अपने निधि और प्राधिकरण की निधि प्राप्तियों तथा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान या किसी अन्य रूप में प्राप्त धन जो इसमें जमा होगा, का लेखा-जोखा रखेगा और उसी से समस्त भुगतान करेगा।
- (2) इस अधिनियम के प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (3) प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु किए गए व्यय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
- (4) भागीरथी नदी घाटी के रख-रखाव और विकास हेतु किसी अन्य प्राधिकरण, विभाग, निगम या सरकार के पास स्थित सारा धन, इस प्राधिकरण की निधि में जमा कर दिया जाएगा। आगे यह प्रावधान होगा कि राज्य सरकार, टिहरी बांध या अन्य संस्था या निगम जो उसी घाटी में विद्युत का उत्पादन कर रही हो या करेगी या ऐसे प्रदेश के अन्य नदी घाटियों में कार्यरत अन्य निगम जो उसी तरह के कार्यक्षेत्र में लगे हों, से विद्युत भाग का प्राप्त या प्राप्य धन का 20 प्रतिशत या उसके समतुल्य धन का भुगतान प्राधिकरण को करेगी।
- 13— (1) प्राधिकरण की निधि, प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति के निर्णयानुसार, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य लब्ध बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो, में खाता खोलकर जमा की जाएगी और उसका संचालन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी या इस हेतु प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (2) प्राधिकरण, यथावश्यक स्थलों पर यथावश्यक संख्या में प्राधिकरण के खाते खोल सकता है।
- (3) प्राधिकरण यथानिर्धारित रूप में और यथासमय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय तथा व्यय दर्शाते हुए बजट तैयार करेगा और प्रतिवर्ष 15 फरवरी से पूर्व इसकी एक प्रति, प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करने के लिए, राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।
- 14— (1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण के लेखा और अन्य संबंधित अभिलेखों का लेखा-जोखा रखेगा और प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक विवरण तैयार कर प्राधिकरण के सम्मक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।
- खाता खोलना, बजट और वार्षिक सामान्य बैठक
लेखा और लेखापरीक्षा

- (2) प्राधिकरण के वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा, अनुभवी चार्टर्डेड एकाउंटेंट या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समान पदधारक व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
- (3) प्राधिकरण के संपरीक्षित लेखा को प्रतिवर्ष या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किसी पूर्व तिथि को प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

- 15- प्राधिकरण, वर्ष के दौरान संपन्न, अपनी गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उस प्रतिवेदन को राज्य सरकार को तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और तिथि से पूर्व केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय V

प्राधिकरण की अन्य शक्तियां

प्रवेश की शक्ति

- 16- प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत, प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी समी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों के प्रयोग या कार्य-निष्पादन हेतु कोई भी विधिसम्मत कार्य या सर्वेक्षण, खोज और पूर्वक्षण, प्रारंभिक या अनुषांगिक रूप से कर सकता है।

निर्देश जारी करने की शक्ति

- 17- राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, प्राधिकरण को, समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन में आवश्यक और समीचीन निर्देश जारी कर सकती हैं और ऐसे निर्देशों का पालन करना प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।

विनियम बनाने की शक्ति

- 18- (1) प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हो।

- (2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्न विषयों में विनियम बना सकेगा-

- (क) प्राधिकरण या इसकी समितियों के कार्य-संचालन की प्रक्रिया;
- (ख) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा-शर्तें, कार्य और दायित्व;
- (ग) प्राधिकरण की समितियों के संरचना, शक्तियां, कर्तव्य और कार्य;

- (घ) तकनीकी विशेषज्ञों की शक्तियां और कार्य;

(ड.) कोई अन्य विषय, जिसके लिए, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रावधान बनाने या बनाए जा सकते हैं।

- 19— प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन सभी या कोई कार्य करने हेतु प्राधिकरण की उधार लेने की केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से, या सामान्य शक्तियों अथवा विशेष रूप से प्रदत्त अधिकार के अनुक्रम में किसी भी स्रोत से ऋण के रूप में, बांध पत्र (बांड), डिबेंचर जारी कर, धन उधार ले सकेगा।
- 20— प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय, टिहरी जिले की नदी घाटी में प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय यथोचित स्थान पर खोला जायेगा और आवश्यकतानुसार बाद में और शाखा कार्यालय की स्थापना अन्य स्थान या स्थानों पर इसके शाखा कार्यालय खोल सकेगा।

अध्याय— VI

कतिपय गतिविधियों का संरक्षण और प्रतिषेध

- 21—(1) नदी घाटी में कोई वृहद निर्माण या विकास कार्य जिससे नदी घाटी क्षेत्र में वृहद विकास महायोजना (मास्टर प्लान) या क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन होता और निर्माण कार्य, खनन हो, नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कोई व्यक्ति या निकाय इस गतिविधियों हेतु अनुमति लेने की धारा की उपधारा (1) से भिन्न कोई विकास की अपेक्षा रखता हो अपेक्षा तो वह प्राधिकरण को सम्पूर्ण योजना के साथ लिखित रूप से सूचित करेगा तथा यदि प्राधिकरण द्वारा उक्त आवेदन के 60 दिवसों के अन्दर कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो अनापत्ति दी गयी, मानी जायेगी।
- (2) नदी घाटी के जलागम क्षेत्र तथा जलाशय या बांध के निकट, लोक-हित के कार्यों यथा— सेतुओं के निर्माण, बाढ़ की रोकथाम, मृदा अपरदन का नियंत्रण, परियोजनाओं के निर्माण आदि या अनुषांगिक कार्यों के अतिरिक्त किसी निर्माण या विकास की अनुमति नहीं होगी, जिससे महायोजना या क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन होता हो।
- (3) बिना प्राधिकरण की अनुमति से, नदी घाटी के जलमरण क्षेत्र में कोई वाणिज्यिक खनन गतिविधि नहीं की जायेगी परन्तु नदी घाटी जलमरण क्षेत्र में स्थित नदी के किनारों या बांध के किनारों में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं होगी, जिससे भूक्षरण हो सकता हो।

स्पष्टीकरण :-

(अ) इस धारा में, वृहद विकास या निर्माण गतिविधि, महायोजना या क्षेत्रीय योजना में निहित क्षेत्र में वह गतिविधि, जिसमें 3 फीट या अधिक गहराई तक मिट्टी की खुदाई की आवश्यकता हो या दो मंजिल में 75 वर्ग मीटर तक कुर्सीक्षेत्र से अधिक किया गया निर्माण हो, से अभिप्रेत है।

परन्तु निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी -

- (i) मवेशी आश्रय के रूप में प्रयोग किया जाने वाला अस्थायी ढांचा या फूस का मकान (छप्पर) या;
- (ii) छोटी पनचक्की की स्थापना या;
- (iii) पहले से विद्यमान मकानों की धारा-21 की उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तों और उसके स्पष्टीकरण के अध्याधीन विस्तार या;
- (iv) विद्यमान मकानों, कृषियोग्य खेतों की सुरक्षा या सड़कों और पगडंडियों के रख-रखाव हेतु पुर्तों या सीमा दीवाल का निर्माण या;
- (v) क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा या विनाश के समय किया गया आपात्कालीन निर्माण; परन्तु यह और कि कार्यपालिका समिति या उसके द्वारा पूर्णरूपेण प्राधिकृत अधिकारी यह देखेगा कि उपर्युक्त निर्माण कार्य से पारिस्थितिकीय सन्तुलन प्रभावित न हो।

(ब) स्थानीय निवासी अपने घरेलू उपयोग हेतु नदी घाटी से उपखनिजों को बिना प्राधिकरण की अनुमति से ले सकेंगे यदि ऐसा उत्खनन इस धारा की उपधारा (3) के अन्तर्गत न आता हो परन्तु इसमें अन्य तत्समय प्रचलित अधिनियमों या नियमों का उन्हें पालन करना होगा।

अध्यारोही प्रभाव

22-(1) इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत, नदी घाटी क्षेत्र पर लागू किसी अन्य अधिनियम में निहित प्रावधान या सरकार द्वारा बनाए गए नियम या विनियम, जो इस अधिनियम के असंगत हैं, लागू नहीं होंगे।

(2) किसी अन्य अधिनियम, विधि, रीति या संविदा में कुछ असंगत होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान, प्रभावी होंगे।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त ये प्रावधान, किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होंगे, उन्हें अल्पीकृत नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय-VII

अपराध और दंड आदि

अपराध

23-(1) कोई व्यक्ति या निदेशक, जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कार्यों या कंपनी के व्यवसाय संचालन के प्रति उत्तरदायी था या जो धारा 10 और 11 में उल्लिखित महायोजना या क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन कर मूमि पर बड़ा विकास कार्य करवाता है या करता है या इस अधिनियम की धारा 21 का उल्लंघन करता है वह 20 हजार रुपये तक के अर्थदंड का भागी होगा और अपराध जारी रहने की स्थिति में अधिक अर्थदंड, जो अपराध जारी रहने तक प्रतिदिन एक हजार रुपये तक के अर्थदंड अथवा किये गये निर्माण की निर्धारित दर से तीन गुना राशि जो भी अधिक हो, का भागी होगा परन्तु यह और कि यदि कोई वस्तु अपराधी से जब्त की जाती है तो प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित कर ली जायेगी।

(2) कोई व्यक्ति जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने में बाधा डालता है या ऐसे व्यक्ति को प्रवेश के उपरांत उत्पीड़ित करता है, वह 6 माह तक के कारावास या 1 हजार रुपये तक अर्थदंड या दोनों दंड का भागी होगा।

(3) जो कोई भी --

(क) जो भी जमीन में गड़े किसी खंभे, स्तंभ(पोस्ट) या खूंटे(स्टेक) या किसी सूचना या अन्य सामग्री, जो प्राधिकरण के निर्देश पर लगाई गई हो, को नष्ट करता है, उखाड़ता है, तोड़ता है या उनकी आकृति बिगाड़ता है या;

(ख) प्राधिकरण के किसी कार्य, संपत्ति को हानि पहुंचाता है या;

(ग) प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्राधिकरण या इस अधिनियम में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा वांछित सूचना देने में विफल रहता है या;

(घ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसी विषय में झूठी सूचना देता है या किसी प्रकार नदी घाटी को प्रदूषित करता है या अधिनियम के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन करता है, वह एक महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के अर्थदंड या दोनों का भागी होगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा में निदेशक फर्म का आशय फर्म के भागीदार से है।

24—प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा।

न्यायालय की अधिकारिता

25—प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित शिकायत के बिना कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अपराधों का संज्ञान

26—प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का न हो की पूर्व-अनुमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा।

अभियोजन की मंजूरी

27—इस अधिनियम के अधीन अभियोजन संबंधी सभी वसूल किए गए अर्थदंड प्राधिकरण को भुगतान कर, उसकी निधि में जमा कर दिये जायेंगे।

वसूल किए गए अर्थदंड का भुगतान प्राधिकरण को किया जाना

अपराधों का शमन

28— (1) इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, प्राधिकरण या इसके द्वारा इस हेतु सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों पर या शमन-फीस के भुगतान की शर्त पर शमनीय हो सकेगा।

(2) जब अपराध का शमन हो चुका हो और अपराधी अभिरक्षा में है तो उसे उन्मोचित कर दिया जायेगा और शमनीय अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अध्याय VIII

अनुपूरक और प्रकीर्ण उपबन्ध

इस अधिनियम के तहत रचित आदेशों की अंतिमता

29— (1) प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निश्चित विषय से संबंधित कोई पारित आदेश या लिया गया निर्णय, इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण के अधीन, अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी आदेश या निर्णय पर किसी विधिक न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

पुनरीक्षण

30— (1) कोई भी व्यक्ति या निकाय जो प्राधिकरण के आदेश से व्यथित हो, राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष पुनरीक्षण का प्रस्ताव कर सकेगा या उस पर सीधा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि उसे अपने प्रस्तुतीकरण का उचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार को इसकी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रत्येक आवेदन, आवेदनकर्ता को संबंधित आवेदन संबंधी संप्रेषित आदेश, निर्णय या निर्देश के दो माह के अंदर, दिया जाना होगा तथा ऐसे प्रार्थना पत्र का निस्तारण जहां तक सम्भव हो सके तीन माह में कर लिया जायेगा।

उपकर और शुल्क लगाना

31— (1) किसी अन्य विधि के होते हुए और संसद द्वारा खनिज विकास संबंधी विधि द्वारा किसी प्रतिबंध के होते हुए भी प्राधिकरण, नदी घाटी में खनिज अधिकारों हेतु उपकर लगा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन लगाया गया कोई उपकर, राज्य सरकार की पुष्टि के अधीन होगा, और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसी तिथि से अधिरोपित किया जा सकेगा जो नियत की जाय।

No.416/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, January 27, 2005

NOTIFICATION**Miscellaneous**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal River Valley (Development and Management) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 06 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27-01-2005.

THE UTTARANCHAL RIVER VALLEY (DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT, 2005

(THE UTTARANCHAL ACT No. 06 OF 2005)

For the sustainable development and proper management of River Valley with special reference to the Bhagirathi River Valley Up and Down Stream of Tehri Dam including its Catchment & Command Areas in the State of Uttaranchal.

AN

ACT

It is HEREBY enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :--

CHAPTER – I**Preliminary**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Short title, Extent and commencement | 1. (1) This Act may be called "The Uttaranchal River Valley (Development and Management) Act, 2005" |
| | (2) In the First Instance it shall apply to the Bhagirathi River Valley in Tehri and Uttarkashi Districts of Uttaranchal and thereafter the State Government may by Notification make all or any of the provisions of this Act applicable to such other River Valley as the State Government would deem fit and proper. |
| | (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf. |
| Definitions | 2. <u>IN THIS Act,</u> |
| | (a) ' <u>authority</u> ' means the River Valley Development Authority established under section "3" |
| | (b) " <u>ACT</u> " Mean the Uttaranchal River Valley (Development and Management) Act, 2005.. |
| | (c) " <u>Bhagirathi River Valley</u> " means the basin of the Bhagirathi, Bhilangana rivers and their tributaries up to Deoprayag, in downstream and Gangotri upto Gomukh in Upstream in the Districts of Tehri and Uttarkashi of Uttaranchal and shall include such other areas adjacent thereto, as the State Government may, by notification, specify. |
| | (d) " <u>Basin</u> " means the entire catchment area of the Valley. |
| | (e) " <u>Catchment area</u> " means such area at a distance of 100 meters which may extend to 200 meters on either side of the River upstreams and downstreams or Reservoir, from its bank at such length as may be determined by the Executive committee. |

- (f) "Command area" means such area in a River Valley as may be determined by the Executive committee.
- (g) "Development Agency" means any Government Department or Institution or other agency engaged in the work of the development of the River Valley.
- (h) "Executive Committee" mean the Committee Constituted under Sub Section (5) of Section 3 of this Act.
- (i) "Government" means the State Government of Uttaranchal.
- (j) "Member" means a member of the Authority and includes its Chairman and Vice Chairman.
- (k) "Sector" means Geographical and Functional areas to be undertaken for the purpose of development and includes -
- (a) "Geographical Area" means an area comprising municipal bodies and zila panchayats etc.
- (b) "Functional Area" means an item for development and includes agriculture, road, bridge, industry, irrigation, transport, watershed, communication, housing, tourism, health, boating, Fishing and matters related thereto.
- (l) "River Valley" includes the basin of the rivers and their tributaries upstream and downstream including catchment area & command area of a "Dam or Reservoir".
- (m) words and expressions used in this Act but not defined, shall have the meanings respectively assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

CHAPTER - II

Establishment of River Valley Development Authority

- 3- (1) The State Government shall, by notification, establish, for the purposes of this Act, an Authority to be called **Bhagirathi River Valley Development Authority**, which shall be a body corporate. Establishment and constitution of the Authority and Executive Committee,
- (2) The State Government may constitute such other number of Authorities for other River Valleys of the State as and when so required or bring such River Valley under the existing River Valley Authority. Appointment of Chief Executive officer
- (3) The Authority shall consist of the following members namely :-
- (a) The Chief Minister of the State Ex-officio Chairman

- | | |
|---|--------------------|
| (b) A person to be nominated by the State Government from River Valley region. | Vice Chairman |
| (c) M.L.A.s not exceeding six from the region whose constituencies fall within the River Valley to be nominated by the State Government | Ex-officio Members |
| (d) Chairmen of Zila Panchyat from the region falling under the River Valley area as may be nominated by the Government | Ex-officio Members |
| (e) Special Invities from the Ministry of Water Resource, Forest and Enviornment Government of India not below the rank of Deputy Secretary/Director. | Members |
| (f) Representative of the Planning commission, Government of India not below the rank of Director. | Member |
| (g) Principal Secretaries/ Secretaries of the following Departments of the State Government or their duly Authorised nominees not below the rank of Addl. Secretary:- | |
| (i) Finance Department | Ex-officio Member |
| (ii) Planning Department | Ex-officio Member |
| (iii) P.W.D., Irrigation and Power Department | Ex-officio Member |
| (iv) Law Department | Ex-officio Member |
| (v) Tourism Department | Ex-officio Member |
| (vi) Enviornment, Forest, Rural Development | Ex-officio Member |
| (h) Divisional commissioner of the Division | Ex-officio Member |
| (i) Chief Executive Officer of the Authority | Member Secretary |
| (j) Technical advisors/ institutions of Soil conservation, Geology, Environment, Law, Sociologist and Mangement not exceeding Six in numbers to be nominated by the State Government. | Members |

- (4) The State Government may appoint a person not below the rank of Secretary serving under the State Government to be a Chief Executive Officer.
- (5) The Authority shall constitute an Executive committee from amongst its members not exceeding six out of which two from (g) of subsection (3) of section-3, to be presided by the Vice Chairman of the Authority which shall be responsible for proper and timely implementation of the decisions, various resolutions of the Authority and will have executive control over the affairs of the Authority. Additional Chief executive officer will be Ex-officio Secretary of the Executive Committee.
- (6) The Authority shall meet atleast twice a year. However, it may meet as and when required with the permission of the Chairman or Vice Chairman.
- (7) The Executive Committee shall meet once in every quarter of a calendar year. However, Vice Chairman may call for such meeting as and when it may require provided further members of the Executive committee may require the Vice Chairman to convene a meeting of Executive committee or the Authority for particular purpose.
- (8)-No act or proceeding of the Authority shall be invalidated merely because of-
- (a) any vacancy or any defect, in the constitution of the Authority;
or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.
- (9) The term of member other than Exofficio members and Vice Chairman shall be of five years. Provided all or any of the members other then ex-officio members may be removed prior to the expiry of their term by the State Government or if such member is not willing to continue as member he may tender his resignation to, in case of member to the Vice Chairman and in case the Vice Chairman to the Chairman of the Authority.
- 4- (1) The Chairman or Vice Chairman and the Chief Executive Officer of the Authority shall exercise such powers and discharge such duties as may by assigned to them by this Act or the regulations made thereunder.
- Powers and duties of Chairman/ Vice Chairman and Chief Executive Officer

(2) The Member-Secretary shall be the Chief Executive officer of the Authority; He may be assisted by Additional Chief Executive Officer who shall be appointed by the Authority.

Staff of the
Authority

5- (1) Subject to such conditions as may be prescribed, the Authority may appoint such other officers and employees as it considers necessary for the efficient performance of its functions Provided in making such appointment the Government orders inforce at the time of such recruitment shall be complied with.

(2)The terms and conditions of the service of the officers and employees referred to in sub- section (1) shall be such as may be determined by the regulations.

Technical
Advisors/
Institution

6- (1) For the efficient discharge of its functions, the Authority may; appoint technical advisors/ Institutions from amongst of the fields, namely Environment management, Geology, Eco- planning, Integrated Energy, Planning, Social Science, Forest Ecology, law and others.

(2)The powers, duties and functions of the technical advisors/ institution and the terms and conditions of their appointment and honorarium shall be such as may be determined by the Executive Committee.

Meeting

7- (1) Meeting of the Authority shall be called by the Chief Executive Officer with the approval of the Chairman or Vice Chairman and the business of the Authority shall be transacted in a meeting unless the Chairman directs any business to be transacted by circulation of agenda among the members. Provided the Chairman may direct to include any other matter in the agenda at the time of meeting.

(2) Meeting of the Authority shall ordinarily be held twice in a Year on such date, at such time and at such place as the Chairman or Vice Chairman may direct. However the Chairman or the Executive committee may call for such meetings at any time as it may direct.

(3) At every meeting of the Authority, the Chairman, or in his absence, the Vice Chairman or such member as may be agreed to by the members present, shall preside.

(4) No business shall be transacted at any meeting unless at least Seven members, including four from amongst the members mentioned at clauses (a) to (d) of sub-section (3) of Section 3 and three from clauses (e) to (j) of the said sub-section are present.

Provided that no quorum shall be required for next meeting adjourned for want of quorum.

- (5) All questions arising at a meeting shall be decided by the majority of the members present and voting, and in case of equality of votes the Chairperson presiding at the meeting shall have a deciding vote.
- (6) The Authority shall have an Annual General meeting Ordinarily in the Month of March every year in which Auditors report shall be placed and Annual Budget of the Authority is discussed and finalized.

8- (1) The functions of the Authority shall be to-

Functions of
the Authority

- (a) oversee the formulation and execution of development plan to achieve optimum utilisation of natural resources for integrated and sustainable development of the basin. The development plan shall include water resources, land use and development of agriculture, sector development and related matters.
- (b) ensure effective and timely action for maintenance of ecological balance in the basin including rehabilitation of damaged ecological system.
- (c) carryout a forestation including planting such species in the valley that may provide sufficient fodder and income to the local residents and such species of plant useful in controlling soil erosion in the River Valley and to provide better and healthy living conditions to local inhabitants.
- (d) Establish and maintain Botanical Garden in the valley, so that flora and fauna of the area is preserved and protected.
- (e) Setup and maintain water quality monitoring system and offer community facilities at various rural rehabilitation centers.
- (f) Setup and maintain disaster management cell/crises groups and disaster fund in the catchment area.
- (g) setup and maintain the effective grievances redressal cells at suitable places in the River Valley.

9- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules or regulations made thereunder, the Authority shall exercise such powers as are necessary or incidental to, the performance of its functions and discharge of its duties under this Act.

Powers of the
Authority

- (2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1) such powers shall include the powers-
- (a) to call for information about any development scheme from the development agency executing the same;

- (b) to approve or disapprove any developmental scheme in the command area of the Valley outlined in the Master Plan of the Authority and till its finalisation to regulate the development in the River Valley undertaken by the other development agency as per sub section (3) to (5) of section – 11 ;
- (c) To direct any other development agency to conform to the policies of this Authority in respect of any sector;
- (d) to take assistance of any organisation of the Central Government or State Government or any other agency for implementation of its policies and programmes;
- (e) to form sub-committees of its members for the purpose of accomplishment of its objects, and
- (f) to delegate any of its functions to any member or officer of the Authority.
- (2) No work, whether preliminary or otherwise, or, any development scheme outlined in the Master Plan, shall be initiated in the Valley without prior approval of the Authority.
- (3) Any changes in the Master Plan shall be made by the permission of the Authority.
- (4) All concerned departments including boards/through their Heads in the State shall co-ordinate with the Authority in implementation of its works and policies. And it shall be lawful for the Authority or Executive Committee to requisition the services of any departments of the Government on such terms and conditions and on such payment as it may desire.
- (5) The Authority may delegate such powers to the Executive Committee or the Chief Executive Officer as it may deem fit for effecting proper and timely implementation of the work, orders or directions.

CHAPTER – III

Master Plan and Sectoral Plan for Development

Preparation of
master plan

- 10 (1) The Authority shall, as soon as may be, prepare or cause to be prepared a Master Plan for the integrated sustainable development of the River Valley on the basis of sectoral development Plan to be ascertained by the Authority before preparation of Master Plan.
- (2) The Master Plan shall-
- (a) define the carrying capacity of the basin;

- (b) define the various sectors into which the development schemes may be divided and indicate the manner in which each sector is proposed to be developed and the stages by which such development schemes shall be carried out;
 - (c) outline the development schemes with alternative schemes for the development of the basin;
 - (d) demarcate the land for various uses and purposes; and
 - (e) serve as basic pattern of framework within which the development schemes may be prepared.
- (3) The Master Plan may provide for such other matters as may be considered necessary for the sustainable development of the River Valley.

11- (1) As soon as may be, after the preparation of the Master Plan under Section 10, the development agencies shall proceed with the preparation of the sectoral development plan in accordance with the Master Plan.

Preparation of Sectoral Plan and regulation of Development in the River Valley

(2) A Plan for the sector prepared under sub-section (1) shall confirm to the stipulations and norms laid down by the State Government and the Central Government.

(3) After the establishment of the Authority for the River Valley no development of land shall be undertaken or carried out or continued in that area by any person or body including a department of Government or any undertaking in public or private sector, unless permission for such development has been obtained in writing from the Authority in accordance with the provisions of this Act.

(4) After the coming into operation of any of the plans in any such area no development shall be undertaken or carried out or continued in that area unless such development is also in accordance with such plans.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the following provisions shall apply in relation to development of land in that area by any department of the State Government or the Central Government or any local Authority or persons or body corporate.

(a) When any such department or local Authority intends to carry out any development of land it shall inform the Executive Committee in writing of its intention to do so giving full particulars thereof, including any plans and documents, at least 90 days before undertaking such development ;

- (b) in the case of a Department of any State Government or the Central Government or persons or body Corporate if the Executive Committee has any objection shall inform such department of the same within six weeks from the date of receipt by him under clause (a) of the department's intention, and if the said committee does not make any objection within the said period the department shall be free to carry out the proposed development ;
- (c) where the Executive Committee raises any objection to the proposed development on the ground that the development is not in conformity with any master plan or sectoral plan prepared or intended to be prepared by it under this Act or on other ground, such department or the local Authority, as the case may be, shall-
- (i) either make necessary modifications in the proposal for development to meet the objections raised by the Executive Committee ;or
- (ii) submit the proposals for development together with the objections raised by the Executive Committee of the Authority for decision under clause (d) ;
- (d) The Authority on receipt of proposals for development together with the objections of the Executive Committee may either approve the proposals with or without modifications or direct the department or the local Authority, as the case may be, to make such modifications as it considers necessary and the decision of the Authority shall be final.

CHAPTER – IV

Finance, Account and Audit

Fund of the
Authority

12. (1) The Authority shall have and maintain its own fund and all receipts of the Authority, including any money receivable from the State Government or the Central Government by way of grant or otherwise, shall be credited thereto and all payments by the Authority shall be made therefrom.
- (2) The Authority shall be provided by the State Government with such finances as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.
- (3) The fund shall be applied towards meeting the expenses incurred by the Authority for carrying out the purposes of this Act and for no other purpose.

(4) All money lying for the maintenance of Bhagirathi River Valley or its development with any other Authority, Department, Corporation or with the Government shall be credited to the fund of the Authority provided further the State Government may give the 20% out of the powershare revenue received or receivable by it from the Tehri Dam or such other body or Corporation, generating electricity in the same River Valley or such other Corporation engaged in the like activity at other places of the River Valley in the State, to the Authority provided further the amount so received from such powershare may be invested in the development work in or around the River Valley.

13. (1) The fund of the Authority shall be deposited with the Nationalised Bank or other reputed bank approved by Reserve Bank of India, by opening a account as the Authority or Executive Committee may determine and shall be operated by the Chief Executive Officer or Additional Chief Executive Officer and the Finance Officer or such other Officer as the Authority may authorize in this behalf.

Opening of
Account, Budget
and AGM

(2) Authority may open such number of Bank Accounts of the Authority at such places as it may deem necessary.

(3) The Authority shall prepare in such form and at such time, as may be prescribed, its budget for the next financial year showing the estimated income and expenditure and shall forward a copy thereof to the State Government before February 15 every year such budget be laid before the Authority in the annual general meeting for approval.

14. (1) The Member- Secretary of the Authority shall maintain proper accounts and other relevant records of the Authority and prepare an annual statement at the close of each financial year and shall place it before the Authority and a copy thereof shall be sent to the State Government.

Accounts and audit

(2) The Annual accounts of the Authority shall be audited by an Experienced Chartered Accountant or equivalent person as may be appointed by the Authority.

(3) The audited accounts of the Authority shall be placed every year before the Authority for approval on or before such date as the Authority may direct.

15- The Authority shall prepare an annual report of its activities during the year and submit the report to the State Government and a copy thereof to the Central Government in such form and before such date as the State Government may specify.

Annual Report

CHAPTER - V
Others Powers of the Authority

- Power of entry** **16-** Any officer or employee of the Authority specially authorised by the Authority, may, at all reasonable times, enter upon any land or premises and do such things as may be reasonably necessary for the purpose of lawfully carrying out any of its work, or, making any survey, exploration and prospecting, preliminary or incidental to the exercise of powers or the performance of functions by the Authority under this Act.
- Power to issue directions** **17-** The State Government and the Central Government may, from time to time, issue to the Authority such directions as in its opinion may be necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall be the duty of the Authority to comply with such directions.
- Power to make regulations** **18-** (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act for the administration of the affairs of the Authority.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Authority may make regulation providing for-
- (a) the procedure in regard to the transaction of business of the Authority or its committees.
- (b) the appointment, service conditions, functions and duties of the officers and employees of the Authority.
- (c) the constitution, powers, duties and functions of the committees of the Authority.
- (d) the powers and functions of the technical experts.
- (e) any other matter for which provision is to be, or may be, made in the regulations for fulfilling the objects of the Act.
- Borrowing Powers of Authority** **19-** Authority may with the consent of or in accordance with the terms of any general or special authority given to it by, the Central Government or as the case may be by the State Government, borrow money from any source by way of loans, issue of Bonds, Debentures or such other Instruments, as it may deem fit for discharging all or any of its functions under this Act.
- Establishment of Head Office and Branch Office of the Authority** **20.** Authority may open its Head Office at such suitable place in the River Valley of Tehri district and may further open such of its branch offices at such place or places as it may require.

CHAPTER - VI

Protection and prohibition of certain activities

21-(1) No Major Constructional or Major Developmental activity in contravention of Master Plan or sectoral plan shall be carried out in the River Valley provided if any person or body intends to carryout activities other then mentioned in sub section one of this section, he shall inform in writing to the Authority with its complete Plan and if the Authority does not raise any objection with in sixty days from the receipt thereof the No Objection shall be deemed to have been granted.

Requirement of permission for Major Developmental, Constructional and Mining activities in the River Valley

(2) No Constrution or Development shall be permitted in the catchment area of River Valley or near the Reservoir/Dam in contravention of the Master Plan or Sectoral Development Plan. Except for public purpose like construction of the Bridges, Preventing floods, Control of soil erosion, Construction of hydel projects etc, or any work incidental thereto.

(3) No commercial Mining activity shall be carried out in the catchment area of River Valley with out the permission of the Authority provided no such permission shall be granted for any mining activity on the banks of ther Rivers or Dam/Reservoir which may cause soil erosion .

Explanation :-

(a) For the purpose of this section the major developmental or constructional activity means the activity requiring excavation of soil upto the depth of three feet or more in an area comprised in the Master Plan or Sectoral Plan and having an plinth area of more then seventy five square meters in a double storey. Provided no such permission or NOC is required for the following activites -

(i) Temporary structure and thatched house to be used as cattelshed; or

(ii) establishment of small water mills; or

(iii) extension of existing house subject to the condition mentioned in sub section (2) of section 21 and its explanation; or

(iv) construction of retaining walls or boundry walls used for the protection of existing house or agricultural fields or for maintainence of Roads and Pathways; or

(v) emergency construction raised after having natural calamities and disasters in the area.

Provided further the Executive committee or its duly Authorised officer may see that ecology of the area is not affected by the construction referred as above.

(b) The local inhabitants may take minor minerals for their household requirement without obtaining permission of the Authority if such mining does not come within the preview of sub section (3) of this section and subject to the fulfillment of conditions specified in other laws and rules prevailing for the time being in force.

Overriding effect 22. (1) Provisions contained in any other Act, Rules or regulation made or Notification issued by the Government which are inconsistent with the provisions of this Act and as applicable to the area of the River Valley shall cease to apply from coming into force of the Act.

(2) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Act, law, custom, usage or contract.

(3) Save as otherwise provided in sub section (1) the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other Act.

CHAPTER – VII **Offences and penalties etc.**

Offences 23. (1) Any person or director in relation to a firm who at the time when the offence was committed was in charge of and was responsible for the affairs of the company or for the conduct of the business of the company who undertakes or carried out major development on the land in contravention of the Master Plan or Sectoral Plan as mentioned in section 10 and 11 or contravenes the provisions of section 21 of this Act shall be punishable with fine which may extend to twenty thousand rupees and in case of continuing offences with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such offence continues or three times the assessed value of construction so raised, whichever is greater. Provided further if any material is seized from the offender the same shall stand forfeited in favour of the Authority.

(2) Any person who obstructs the entry of a person Authorised under section 16 to enter into or upon any land or building or molests such person after such entry shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or fine of one thousand rupees or both.

3- Whosoever -

- (a) Whoever destroyes, pullsdown, makes injuries or defaces any piller, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter putup, inscribed or placed by or under the directions of the Authority; or
- (b) damages any works, property, belonging to the Authority; or
- (c) Fails to furnish to the Authority or any other officer of the Authority any information required by the Authority or such officer for the purpose of this Act ;or
- (d) for the purpose of obtaining any permission or NOC under section 21 of the Act makes a statement which is false in any matarial particular or in any way pollutes the River Valley or otherwise contravens the provisions of this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one months or with fine which may extend to five thousand rupees or both.

Explanation : in this section director in relation to a firm also means a partner of the firm.

- | | | |
|-----|--|---|
| 24. | No court inferior to that of Judicial Magistrate of first class shall try offence punishable under this Act. | Jurisdiction of court |
| 25. | No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing made under the signature of an officer duly authorised by the Authority in this behalf. | Cognizance of offences |
| 26. | No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except with the previous sanction of the Chief Executive Officer or such other officer of the Authority not below the rank of Additional Chief Executive Officer. | Sanction of prosecution |
| 27. | All fines realized in connection with the prosecutions under this Act shall be paid and credited to the fund of the Authority. | Fines when realized to be paid to the Authority |
| 28. | (1) Any offence made punishable under this Act may either before or after the institution of proceedings be compounded by the Authority or any officer authorized by it in that behalf by general or special order on such terms including any term as regards to payment of the composition fees, as the Authority or such officer may think fit. | Compounding of offences |

- (2) Where an offence has been compounded the offender if in custody shall be discharged and no further proceeding shall taken against him in respect of the offence compounded.

CHAPTER - VIII

Supplemental and miscellaneous provisions

- Finality of orders made under this Act** 29. (1) Any order passed or decision taken by the Authority or officer in respect of matters to be determined for the purposes of this Act shall, subject only to revision if any provided under this Act, be final.
- (2) No such order or decision shall be liable to be questioned in any court of law.
- Revision** 30. (1) Any person or body aggrieved by the order of the Authority may file revision before the Chief Secretary of the State Government which may pass such order in relation to as it may think fit.
- (2) No order sub section (1) shall be made to the prejudice of any person unless he has had a reasonable opportunity of making his representation.
- (3) Every application to the Chief Secretary of the State Government for the exercise of its powers under this section shall be made with in one month from the date on which the order, decision or direction to which the application relates was communicated to the applicant. Such application as far as possible be disposed of within three months.
- Imposition of cess & fee** 31. (1) Notwithstanding in any other law and subject to any limitation imposed by Parliament by law relating to mineral development, the Authority may impose a cess on mineral rights in the River Valley at such rates as may be prescribed.
- (2) Any cess imposed under this section shall be subject to confirmation by the State Government and shall be leviable with effect from such date as may be appointed in this behalf by the State Government
- (3) The Authority may take such fees for giving NOC or permission for the activities mentioned in section 21 of this Act or for other activities as may be prescribed.

- | | |
|--|---|
| <p>32. All members, the officers and employees of the Authority shall be deemed to be public servant with in the meaning of section 21. of the IPC</p> | <p>Member and other officers to be public servant</p> |
| <p>33. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer thereof in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act and regulations made thereunder.</p> | <p>Protection of action taken in good faith</p> |
| <p>34. The Uttar Pradesh Bhagirathi River Valley Act, 1999 (U.P. Act No. 14 of 1999) is hereby repealed. Notwithstanding such repeal any thing done or proceeding taken, notification issued, order passed and decision made by any Authority or officer under the repealed Act shall in so far as they are not inconsistant, with the provision of this Act be deemed to have been made, issued, passed or done by the Authority or Officer under the corresponding provision of this Act and shall have effect accordingly until they are modified, cancelled or superceded under the provision of this Act. Any asset acquired or money received under the repealed Act or by the like Authorities or the Boards constituted under other Acts applicable in the area to which its Act aplys shall stand transferred to the Authority under this Act.</p> | <p>Repeal and savings</p> |

By Order,

I. J. Malhorta,
Principal Secretary.

